आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06.08.19	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–47/2019** सियाराम सिंह –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–उदयपुर थाना नं0–84, खाता नं0–21, प्लॉट नं0–2390, रकवा–03 डी0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीयउच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा निर्मित संरचना के मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि उक्त भूमि को संयुक्त डीड द्वारा खरीद की गई है, जिस पर पक्का मकान बना है एवं रसीद संख्या–जे0 एच0 21ए0 121365 के द्वारा झारखण्ड सरकार को लगान भी अदा किया गया है। साथ ही अपने आवेदन में उल्लेख किया गया कि वर्णित खाता प्लॉट में बने मकान का मुआवजा नहीं दिया गया एवं उस मकान का आवेदक ही हकदार है जिसका मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। तथा उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को दिखाया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि जब मुआवजा राशि का भुगतान ही नही किया गया है तथा स्वामित्व से संबंधित है, ऐसी स्थिति में यह मामला अर्बिट्रेशन से सबंधित वाद नहीं है। यह वाद को अस्वीकृत/निरस्त किया जाता है। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता –सह– आबिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner